MOHANLAL SUKHADIA UNIVERSITY, UDAIPUR
मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर

No. MLSU/GAD/Adm./2022/ 9665 Date: 09.07.2022
12

परिपत्र

समस्त अधिष्ठाता / निदेशक / विभागाध्यक्ष /
पाठ्यक्रम समन्वयक / ईकाई प्रभारी
....
मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय
उदयपुर

महोदय,

विश्वविद्यालय की विवरणिका 2022–23 का प्रकाशन कर नवीनतम् प्रवेश नियमों के साथ विश्वविद्याल की वेबसाईट पर पीडीएफ वर्जन अपलोड कर दिया गया है। साथ ही आपको प्रति इकाई एक हार्ड प्रतिलिपि भी भिजवाई जा चुकी है।

आरक्षण एवं प्रवेश संबंधी नियम विवरणिका में उपलब्ध हैं तथापि उनका सारांश सुविधा की दृष्टि से यहाँ दिया जा रहा है। कृपया राज्य सरकार एवं विश्वविद्यालय के नवीनतम् / संशोधित / अद्यतन आदेशों या परिपत्रों को दृष्टिगत रखते हुए प्रवेश प्रक्रिया सम्पन्न करावें।

क्र. सं.	आरक्षण	आउट राईट एवं न्यूनतम् प्रवेशांक पर प्रवेश	विशेष टिप्पणी
1	– अनुसूचित जातियाँ –16% –अनुसूचित जनजातियाँ–12% –अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन क्रिमीलेयर)– 21% – अति पिछड़ा वर्ग (MBC)– 5% –आर्थिक रुप से पिछड़ा वर्ग 10% –दिव्यांग (क्षैतिजिक आरक्षण)– 5% – विस्थापित कश्मीरी (हिन्दू एवं पण्डित)–1% – प्रतिरक्षा सेवाओं / केन्द्रीय सशस्त्र बलों / राजस्थान पुलिस कर्मियों के पुत्र / पुत्री–3% –मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के कार्मिक एवं उनके पुत्र / पुत्रियाँ– 6% –प्रत्येक एमएससी पाठ्यक्रम में स्कूली शिक्षा निदेशक से मनोनीत एक सीट	1. तृतीय लिंग (Transgender) अभ्यर्थियों को सहशिक्षा महाविद्यालय में न्यूनतम् उत्तीर्णांक पर निर्धारित सीटों से अतिरिक्त सीटों पर प्रवेश देय होगा। 2. ऐसे अभ्यर्थी जिनके माता / पिता अथवा पति की मृत्यु कोरोना से हुई हो को न्यूनतम् उत्तीर्णांक पर निर्धारित सीटों से अतिरिक्त सीटों पर प्रवेश देय होगा। 3. भारांक समिति द्वारा आउटराईट घोषित खिलाड़ियों को अतिरिक्त सीटों पर प्रवेश देय होगा। 4. दिव्यांग अभ्यर्थियों में यदि कोई मूक / बधिर / दृष्टि बाधितार्थ है तो न्यूनतम् प्रवेशांक पर प्रवेश होगा तथा यह सीटें अतिरिक्त मानी जायेगी। इस श्रेणी के अन्य अभ्यर्थियों को आरक्षण क्षैतिजिक रुप से देय होगा अर्थात् ऐसी सीट अभ्यर्थी के मूल वर्ग (SC/ST/ OBC/GEN) में से कम की जायेगी।	1. अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन क्रिमीलेयर) तथा आर्थिक रुप से पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र एक वर्ष के लिए मान्य है। किन्तु अभ्यर्थी द्वारा दस रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर यह घोषणा करता है कि उसके परिवार की आर्थिक स्थिति में परिवर्तन नहीं आया है तो यह प्रमाण पत्र दो वर्ष अतिरिक्त के लिए मान्य हो सकेगा। 2. तृतीय लिंग अभ्यर्थी के पास जिला प्रशासन द्वारा जारी पहचान पत्र होना चाहिए। 3. कोरोना से मृत्यु प्राप्त अभिभावक का तत्संबंधी चिकित्सा प्रमाण पत्र / मृत्यु प्रमाण पत्र / कोविड–19 कोष से प्राप्त सहायता प्रमाण पत्र होना चाहिए। इस श्रेणी के अभ्यर्थियों का प्रवेश निःशुल्क होगा। तथा छात्रावासों में भी निःशुल्क प्रवेश होगा। **लगातार.........पृष्ठ– 2**

Registrar
Mohanlal Sukhadia University
Udaipur (Raj.)

नोटः—

1. अति पिछड़ा वर्ग में निम्न जातियाँ सम्मिलित हैं— (अ) बंजारा/बालदिया/लबाना (ब) गाडिया लोहार/गाडोलिया (स) गुर्जर/गूजर (द) राईका/रेबारी/देवासी (य) गडरिया/गाडरी/गायरी

2. विश्वविद्यालय के आदेश संख्या F/Gen/MLSU/2019/4450 दिनांक 16.07.2019 के अनुसार अनाथ अभ्यर्थियों तथा शहीद परिवार के अभ्यर्थियों को प्रवेश निःशुल्क होगा।

3. विश्वविद्यालय के आदेश संख्या F.85/Gen/MLSU/2020-21/8204 दिनांक 25.09.2021 के अनुसार आउट राईट श्रेणी के खिलाड़ियों का प्रवेश निःशुल्क होगा।

4. कृपया छात्रनिधि सहायता हेतु विवरणिका वर्ष 2022—23 के पेज संख्या 113—114 में वर्णित प्रावधान देखते हुए महाविद्यालय स्तर पर कार्यवाही करनी है।

प्रो. पी. के. सिंह
संयोजक, यूजी प्रवेश

प्रो. एस. के. कटारिया
संयोजक, विवरणिका

सी. आर. देवासी
कुलसचिव
Registrar
Mohanlal Sukhadia University
Udaipur (Raj.)